BHS-12 योजना के आवंटियो हेतु सूचनाः–

1. प्राधिकरण की **BHS-12** योजना सेक्टर–ईटा–02 **(**ग्राम–मकोडा**)** के आवंटियों को प्राधिकरण के अन्य सेक्टरो में रि–एलोकेट किये गये भवनो की बढी हुयी लागत को 02 वर्ष की चार छमाही किश्तो में **(**बिना ब्याज के**)** लिया जाना है।
   - **(a)** यदि आवंटी बढी हुयी लागत जमा कराने में असमर्थ है तो आवंटी जमा करायी गयी धनराशि पर **4%** ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकते है।
   - **(b)** जिन आवंटियो द्वारा रि–एलोकेट किये गये भवनों की लीज डीड निष्पादित करा ली है, उन्हें रि–एलोकेट भवन की सरेन्डर डीड कराते हुए जमा धनराशि का **4%** ब्याज सहित रिफन्ड प्राप्त कर सकते है।
   - **(c)** ऐसे आवंटी जिन्हे पूर्व में भवन रि–एलोकेट किये गये थे। उनको भी भवनो की बढी हुयी लागत, अतिरिक्त लोकेशन चार्ज एवं अतिरिक्त लीज डीड पेनाल्टी जमा कराते हुए करेक्शन डीड करानी होगी ।

2. सेक्टर–ईटा–02 **(**ग्राम–मकोडा**)** क्षेत्रफल–86.67 वर्गमी0 के आवंटियो को बिना सहमति के सेक्टर–ईटा–02 में ही अन्य भूखण्ड पर क्षेत्रफल–86.67 वर्गमी0 के भवनो को रि–एलोकेट किया गया है। भवन का कब्जा वर्तमान तक न दिये जाने के कारण इच्छुक आवंटी **BHS12** योजना की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जमा धनराशि पर **4%** ब्याज सहित रिफन्ड प्राप्त कर सकते है।

   ऐसे आवंटी जिन्होने पूर्व मे ईटा–02 क्षेत्रफल–86.67 वर्गमी के आवंटित भवन की एग्रीमेंट टू लीज निष्पादित करायी ली है, ऐसे आवंटी पूर्व में आवंटित भवन की सरेन्डर डीड कराते हुए जमा धनराशि पर **4%** ब्याज सहित रिफन्ड प्राप्त कर सकते है।